

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं० संख्या:- 3/अ०प्र०-01-16/2018 5192 /पटना, दिनांक :- 15.5.25

श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को तिरहुत मुख्य नहर के वि०दू० 722 बायें तटबंध पर दिनांक 22.09.2011 को नहर बाँध टूटान के लिए जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं० 1494 दिनांक 05.02.2011 द्वारा निलंबित करते हुए जल संसाधन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 04 दिनांक 04.01.2012 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अशोक कुमार के विरुद्ध जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं० 1301 दिनांक 23.10.2013 द्वारा (i) निंदन (आरोप वर्ष 2011-12) एवं (ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गई।

3. शास्ति आदेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 13.12.2013 के माध्यम से समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं० 1691 दिनांक 05.08.2016 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

4. संवर्ग विभाजन के पश्चात श्री कुमार का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग हो जाने के कारण जल संसाधन विभाग के पत्रांक 97 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मामले से संबंधित अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया गया।

5. ग्रामीण कार्य विभाग के आदेश सं०-1156 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्री कुमार के निलंबन अवधि का सेवा विनियमित करते हुए उन्हें निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य करते हुए उक्त अवधि को पेंशन के प्रयोजनार्थ गणना करने का आदेश पारित किया गया।

6. शास्ति आदेश के विरुद्ध श्री अशोक कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० सं०-1207/2021 (श्री अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश में श्री कुमार को अधिरोपित शास्ति आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा याचिकाकर्ता को देय परिणामी लाभों का भुगतान करने का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है—

14. This Court would find the communication dated 30.04.2013 that no evidence, whatsoever, has been referred to, let alone sufficient evidence. There is, therefore, procedural breach of Rule 18(2) in communicating the point of distinction. The findings as a result, therefore, are unsustainable on this ground itself.

15. The Court however, would find that the finding is also unsustainable for another reason being the fact that the same is at variance

with and not based on the same premise on which the point of distinction has been communicated to the petitioner under letter dated 30.04.2013.

16. The order of punishment issued by the disciplinary authority, dated 23.10.2013 therefore, in view of the abovenoted procedural violation is clearly unsustainable. The consequential order dated 24.05.2018, therefore, must also collapse. The order dated 05.08.2016 passed by the Reviewing Authority affirming the illegal findings, therefore, is also unsustainable, and quashed.

17. The petitioner is thus found to be entitled to consequential benefits on account of quashing of the impugned order.

7. उक्त आदेश के विरुद्ध एलपीओ दायर करने के बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श की अपेक्षा की गई। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निम्न परामर्श दिया गया—

“I need not examine merit of order dt. 17.11.2022 in CWJC 1207/2021. As more than one year and eight months have elapsed since the order was passed. Such an abnormal delay is practically impossible to explain seeking condonation of delay. Hence no case for filing LPA is made out.”

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में CWJC सं०-1207/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-17.11.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं० 1093 दिनांक 20.11.2018 में अंकित प्रावधान के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष मामले को रखा गया।

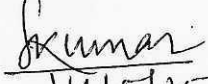
9. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 20.02.2025 के बैठक में निम्न निर्णय लिया गया—

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सी०डब्लू०जे०सी० सं० 1207/2021 (अशोक कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायोदश के अनुपालनार्थ जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं० 1301 दिनांक 23.10.2013 के द्वारा श्री अशोक कुमार के विरुद्ध संसूचित दण्डादेश को निरस्त करते हुए सी०डब्लू०जे०सी० सं०-1207/2021 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित आदेश का अनुपालन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

10. समिति की उपर्युक्त अनुशंसा की आलोक में श्री अशोक कुमार, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त करते हुए उन्हें देय परिणामी लाभों का भुगतान करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

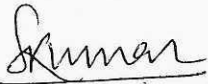
11. अतः श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल दाउदनगर के विरुद्ध जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं० 1301 दिनांक 23.10.2013 द्वारा अधिरोपित (i) निंदन (आरोप वर्ष 2011-12) एवं (ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति को निरस्त करते हुए उन्हें देय परिणामी लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


14/5/15
(संजय कुमार)
अवर सचिव

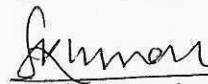
ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-01-16/2018 5192 /पटना, दिनांक:- 15-5-25

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


14/5/15
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-01-16/2018 5192 /पटना, दिनांक:- 15-5-25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/5/15
अवर सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ0प्र0-01-16/2018 5192 /पटना/दिनांक:- 15-5-25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर/ अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल दाउदनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

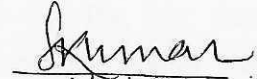

14/5/15
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-01-16/2018

5192

/पटना/दिनांक:- 15-5-25

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

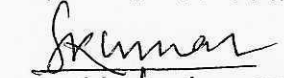

15/5/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-01-16/2018

5192

/पटना/दिनांक:- 15-5-25

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


15/5/25
अवर सचिव